



कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न



शारीरिक संपर्क या यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध



कामुक टिप्पणियाँ करना या अश्लील साहित्य दिखाना



यौन प्रकृति का कोई भी अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक आचरण

आरोप सिद्ध होने पर संभावित कार्यवाही

- ✓ सेवा नियमों के अनुसार लिखित माफ़ी, चेतावनी, निंदा और काउंसलिंग
- ✓ पदोन्नति रोकना, वेतन वृद्धि रोकना, सेवा से बर्खास्त करना या पुलिस कार्यवाही

यौन उत्पीड़न का विरोध करें



अपने साथी कार्यकर्ता की मदद लें



आंतरिक शिकायत समिति के सदस्य या अध्यक्ष को सूचित करें



आंतरिक शिकायत समिति में लिखित शिकायत करें

ध्यान रखिये

- ✓ किसी भी शिकायत के बारे में पूर्ण गोपनीयता बनाये रखें ।
- ✓ शिकायत के बारे में कार्यालय कार्मिकों के साथ चर्चा करना या किसी के पक्ष या विपक्ष में गपशप करना कानून के विपरीत है ।
- ✓ पीड़ित महिला कार्मिक को भावनात्मक सहयोग दें तथा आंतरिक शिकायत समिति में शिकायत करने में मदद करें।
- ✓ झूठी शिकायत करने एवं साबित होने पर सेवा नियमों के तहत कार्यवाही होगी ।

सुरक्षित कार्यस्थल बनाने में आपका योगदान अमूल्य है